

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक : 575/4/पीए0-टी0/2021-22

दिनांक 30-10-2021

एकल निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सपटित उल्लेखित नियम व शर्तों के अन्तर्गत निम्न कार्यों की मुहरबन्द निविदाएं कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण परिसर में स्थित विजया बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) एवं प्राधिकरण वेबसाइट से पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकेंगे। निविदाएं प्राधिकरण कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में रखे निविदा बाक्स में निम्नानुसार निविदा आमंत्रण के दिनांक को अपरान्ह: 2:00 बजे तक डाली जा सकती है। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिनांक को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्मों के समक्ष (यदि उपस्थित हों) खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आरक्षित राशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य (रु० में)	धरोहर राशि (रु० में)	कार्य की अवधि	जोन का नाम	निविदा विक्रय की अवधि	निविदा आमंत्रण/खोले जाने की तिथि
1.	गधुबन बाफूधाम योजना की 45.00 मी०, 30.00 मी०, 18.00मी० आदि सड़कों पर डस्ट कंट्रोल हेतु पानी का छिड़काव का कार्य।	2.36	1121.00	4800.00	120 दिन	03	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
2.	कोयल एकलेव एवं इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में पानी छिड़काव के कार्य के सम्बन्ध में।	3.78	1121.00	7600.00	120 दिन	08	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
3.	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में समस्त सड़कों पर प्रदूषण रोकने हेतु 04 माह के लिए पानी छिड़काव का कार्य।	3.78	1121.00	7600.00	120 दिन	1	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
4.	नेहरू नगर स्थित चन्द्रशिला अपार्टमेंट में लिफ्ट संचालन हेतु लिफ्ट आपरेटर/पम्प आपरेटर की एक वर्ष हेतु आपूर्ति का कार्य।	4.89	1121.00	9800.00	365 दिन	04	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
5.	प्रताप विहार योजना के सैक्टर-11 ब्लॉक-एच में पूर्व निर्मित 348 (दस मंजिले) ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों में लिफ्ट संचालन हेतु लिफ्ट आपरेटर की आपूर्ति का कार्य।	4.89	1121.00	9800.00	365 दिन	04	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
6.	इन्दिरापुरम एवं इन्दिराकुन्ज योजना में तीन माह के लिये सड़कों पर धूल उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने हेतु सड़कों पर टैकर से पानी छिड़काव कराये जाने का कार्य।	4.91	1121.00	9900.00	90 दिन	06	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021
7.	तुलसी निकेतन योजना में सीवेज तथा ड्रेन वाटर पम्पिंग हेतु 40 एच०पी० पम्प मोटर स्थापित करने तथा पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	6.28	1534.00	12600.00	180 दिन	08	09.11.2021 से 15.11.2021 तक	15.11.2021

नियम व शर्त :-

- 1- निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का उपयोग कर निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (नॉन-रिफण्डेबल) जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में गाजियाबाद स्थित बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो तथा धरोहर राशि की एफ०डी०आर० संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर तथा धरोहर राशि की एफ०डी०आर० निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
- 2- निविदा विक्रय के अंतिम दिवस तथा निविदा आमंत्रण के दिनांक को अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को विक्रय/खोली जायेगी।
- 3- डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को स्थायरल बाइण्ड/हार्ड बाउण्ड करने के पश्चात् ही निविदा हेतु प्रयोग किया जायेगा।
- 4- वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और बैंक में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो, तो बैंक में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे।
- 5- निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध की औपचारिकतायें दस दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।
- 6- धरोहर राशि की एफ०डी०आर० प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बैंक के कॅश काउण्टर/कार्यालय से निविदा निर्गत की जायेगी। एफ०डी०आर० उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।
- 7- अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक की कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 8- ठेकेदार को अनुक्षण प्रकृति के कार्यों हेतु श्रमिक उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख-रखाव करना होगा।
- 9- लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
- 10- ठेकेदार अपने श्रमिकों को पहचान पत्र देगा जो ठेकेदार द्वारा सत्यापित होगा।
- 11- निविदा की दरें जी०एस०टी० रहित होंगी, जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।
- 12- ठेकेदार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में वैध पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 13- किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता